न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 43/2021 (जीसीएमएस न0 2021/75)

उनवानी प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ——————————प्रार्थी।

बनाम

वेदकुमारी पुत्री केशवसिंह जाति जाट निवासी हाऊसिंग कालौनी धौलपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर ——————————अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि0।
अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनांक :–10.10.2022**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी वेदकुमारी पुत्री केशवसिंह जाति जाट निवासी हाऊसिंग कालौनी धौलपुर तहसील धौलपुर को राजस्व ग्राम विशनौदा में आराजी खसरा नम्बर 2311/608 रकवा 0.8219 है. 2317/1132 रकवा 1.2645 है. दिनांक 23.06.1986 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 44 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 23.6.1976 बहक वेदकुमारी पुत्री केशवसिंह जाति जाट निवासी धौलपुर के पक्ष ग्राम विशनौदा का आराजी खसरा नम्बर 2311/608 रकवा 0.8219 है. 2317/1132 रकवा 1.2645 में हुआ आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी, नकल नामान्तकरण, आवटंन आदेश पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उजरदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह राना अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीया को ग्राम विशनोंदा में स्थित खसरा नम्बर 1132 एवं 608 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा का आवंटन दिनांक 23.06.1986 को किया गया था उक्त खसरा नम्बरान के वर्तमान में कम्प्यूटराइज्ड नम्बर 2311/608 रकबा 0.8219 हेक्टेयर एवं 2317/1132 रकबा 1.2645 कायम हुये है। अप्रार्थीया के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त कराने के लिए 36 वर्ष पूर्व उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में वास्ते निरस्ती आवन्टन राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है जो विधि विपरीत है। आवन्टन के बाद अप्रार्थिया ने आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त करके निरन्तर काश्त किया है और आवन्टन के सम्बध में सभी सवंधित नियमों की पूरी पालना की है। अप्रार्थिया हाउसिंग बोर्ड धौलपुर की निवासी है। आवन्टित भूमि आवंटन के समय ऊबड–खाबड एवं नाकाबिल काश्त जमीन थी खसरा नम्बर 2317/1132 को समय–समय पर फसल गेंहू एवं सरसों की की है और अप्रार्थिया की फसल को इन्द्राज संबधित राजस्व अभिलेखों में अंकित है पटवारी हल्का विशनोंदा द्वारा अप्रार्थिया की पीठ पीछे गलत रिपोर्ट इस आशय की दी है कि मौके पर जगराम पुत्र रामभरोसी जाति कुशवाह के कहने पर गलत रिपोर्ट दी है जगराम पुत्र रामभरोसी द्वारा अप्रार्थिया के विपरीत रंजिशन भूमि पर अप्रार्थिया का कब्जा ना होना अंकित किया है। पटवारी द्वारा किसी प्रकार की कोई मौके की जांच अप्रार्थिया को सूचित किये बिना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अप्रार्थिया पर काबिल पाबंदी नही है। अप्रार्थिया द्वारा की कास्त को किसी दीगर व्यक्ति की काश्त होना भी पटवारी द्वारा गलत अंकित किया है। यदि किसी अन्य द्वारा काश्त की गई होती तो काश्त करने वाले का नाम भी पटवारी द्वारा अंकित किया गया होता। खसरा नम्बर 2311/608 आवंटन के समय काफी गहरे गडडे के रूप में थी जिसे अप्रार्थिया द्वारा काफी सीमा तक भराव किया हुआ है मगर अभी भी पूरी तरह से समतल जमीन नहीं हो सकी है राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में इस प्रकार की आपत्ति ली गई है कि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर काश्त नही किया गया है इसलिए आवंटन निरस्त किया जावे इस प्रकार की आपत्ति आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर ली जा सकती थी अब 36 वर्ष बाद इस प्रकार की आपत्ति के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही है। आवंटन के तीन वर्ष पश्चात आवन्टी को अधिकार खातेदारी क्रिएट हो जाते है और इस प्रकार का प्रिजम्सन लिया जाता है, कि आवंटी को तीन वर्ष के बाद अधिकार प्राप्त हो चुके है और अधिकार खातेदारी के बाद नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। अप्रार्थिया भूमिहीन कृषक है और आवंटन का पात्र भी इस बात की संतुष्टि किये जाने के बाद भी नियमानुसार आवंटन हुआ था। आवन्टन नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस गांव की जमीन है उसी गांव का आवंटी होना आवश्यक हो इस लिए इस आधार पर कि अप्रार्थिया विशनोंदा की निवासी न होकर धौलपुर की निवासी है आवंटन अवैध नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया को राजस्व ग्राम विशनोदा तहसील धौलपुर में विवादित आराजी का दिनांक 23.06.1986 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 44 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थीया ग्राम विशनोदा की निवासी नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 2317/608 भूमि पोखर स्वरूप है जिसमें बरसात का पानी भरा रहता है तथा खसरा नम्बर 2317/1132 पर किसी दिगर व्यक्तियों द्वारा फसल बोयी जाती है उक्त खसरा नम्बरान पर प्रार्थीया का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीया के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त कराने के लिए 36 बर्ष बाद राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है जो विधि विपरीत है। आवन्टन के बाद अप्रार्थिया ने आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त करके निरन्तर काश्त किया है। आवन्टित भूमि आवंटन के समय ऊबड–खाबड एवं नाकाबिल काश्त जमीन थी खसरा नम्बर 2317/1132 को समय–समय पर फसल गेंहू एवं सरसों की की है और अप्रार्थिया की फसल को इन्द्राज संबधित राजस्व अभिलेखों में अंकित है। पटवारी हल्का विशनोंदा द्वारा अप्रार्थिया की पीठ पीछे गलत रिपोर्ट दी है। पटवारी द्वारा किसी प्रकार की कोई मौके की जांच अप्रार्थिया को सूचित किये बिना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अप्रार्थिया पर काबिल पाबंदी नही है। अप्रार्थिया द्वारा की कास्त को किसी दीगर व्यक्ति की काश्त होना भी पटवारी द्वारा गलत अंकित किया है। यदि किसी अन्य द्वारा काश्त की गई होती तो काश्त करने वाले का नाम भी पटवारी द्वारा अंकित किया गया होता। खसरा नम्बर 2311/608 आवंटन के समय काफी गहरे गडडे के रूप में थी जिसे अप्रार्थिया द्वारा काफी सीमा तक भराव किया हुआ है मगर अभी भी पूरी तरह से समतल जमीन नहीं हो सकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में इस प्रकार की आपत्ति ली गई है कि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर काश्त नही किया गया है इसलिए आवंटन निरस्त किया जावे इस प्रकार की आपत्ति आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर ली जा सकती थी अब 36 बर्ष बाद इस प्रकार की आपत्ति के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही है। अप्रार्थिया भूमिहीन कृषक है और आवंटन का पात्र भी इस बात की संतुष्टि किये जाने के बाद भी नियमानुसार आवंटन हुआ था। आवन्टन नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस गांव की जमीन है उसी गांव का आवंटी होना आवश्यक हो इसलिए इस आधार पर कि अप्रार्थिया विशनोंदा की निवासी न होकर धौलपुर की निवासी है आवंटन अवैध नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। आवंटी का कथन है कि आवंटी ने आवटंन शर्तो का पालन किया है तथा आवंटी का विवादित आराजी पर आवंटन के दिनांक से बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है और आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता परन्तु आवंटी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह सावित होता हो कि आवंटी का विवादित आराजी पर आवटंन दिनांक से कब्जा काश्त हो और आवटंन की शर्तो का पालन किया गया हो इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पटवारी हल्का की रिपोर्ट, मौका पर्चा ग्राम विशनौदा दिनांक 05.01.2021 के अवलोकन से यह सावित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 2311/608 रकबा 0.8219 हैक्टेयर भूमि मौके पर पोखर स्वरूप स्थिति में है जिस पर आवंटी का कब्जा नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 2317/1132 रकवा 1.2645 हैक्टेयर पर दीगर व्यक्तियों के द्वारा फसल की जाती है। उक्त खसरा नम्बर पर भी आवंटी का कब्जा नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावारी सम्बत 2073 से 76 के अवलोकर करने पर आराजी खसरा नम्बर 2311/608 पडत दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2317/1132 सम्बत 2073 से 74 में पडत दर्ज है तथा संवत 2075–76 में गेहूं व संरसों की फसल दर्ज है। उक्त फसल पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार दीगर व्यक्तियों के द्वारा फसल की जाती है। पटवारी हल्का विशनौदा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि आवंटी श्रीमती वेदकुमारी पुत्री केशवसिंह जाति जाट निवासी धौलपुर नाम की कोई भी महिला इस ग्राम में निवास नहीं करती है और न ही महिला इस ग्राम की निवासी है। इस प्रकार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना पाया जाता है। आवंटी द्वारा आवटंन की शर्तो का पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया/आवंटी श्रीमती बेदकुमारी पुत्री केशवसिंह जाति जाट निवासी हाऊसिंग कालौनी धौलपुर तहसील धौालपुर जिला धौलपुर को ग्राम विशनौदा तहसील धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 2311/608 रकवा 0.8219 है. 2317/1132 रकवा 1.2645 का दिनांक 23.06.1986 को आवटंन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर 17/10

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)